



महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

एम. एस. जे. महाविद्यालय परिसर, भरतपुर-321001

Tele No.: 05644-220229 (O)

Fax No. : 05644-220560 (O)

Email-vc@msbrijuniversity.ac.in

—: प्रबन्ध-मण्डल के बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-मण्डल (BOM) की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर 2018 को पूर्वाह्न 11.15 बजे विश्वविद्यालय परिसर के सभा-कक्ष में आयोजित की गई। प्रबन्ध-मण्डल (BOM) की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. प्रो. अश्वनी कुमार बंसल, माननीय कुलपति, म. सू. बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
2. प्रो.(डा.) भृगु नाथ पाण्डेय, Chancellor's Nominee
3. डा. मंनरूप सिंह मीना, Govt. Nominee
4. डा. ए. के. श्रीवास्तव, VC's Nominee
5. डा. सुरेन्द्र सिंह सिनसिनवार, Govt. Nominee
6. श्री आदित्य देव कविया, कुलसचिव, सदस्य सचिव, म.सू. बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर

अध्यक्ष/मा. कुलपति महोदय ने प्रबन्ध-मण्डल के सभी उपस्थित मा. सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिए गए -

क्र.सं	एजेण्डा बिन्दु	विभाग
1.	दिनांक 02.06.2018 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण पेज नम्बर 03 के सप्लीमेंट्री एजेण्डा के item No. 01 के निर्णय की रिकोर्डिंग का संशोधन के बाद संशोधन।	
निर्णय	<p>02.06.2018 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल के बैठक के Circulated कार्यवाही विवरण में पेज नं० 03 में सप्लीमेंट्री एजेण्डा के item No. 01 के निर्णय की रिकोर्डिंग में गलती हो जाने के कारण संशोधन के बाद कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। निम्नलिखित संशोधन Minuts में Incorporate किया गया-</p> <p>1. The consolidated compensation for Assistant Professor for Law teachers would be from Rs. 20,000/- upto Rs. 30,000/- PM depending upon the merit.</p> <p>2. For Associate Professor the consolidated compensation would be from Rs. 30,000/- upto Rs 55,000/- P.M. depending upon the merit and recommendation by Selection Committee and approval by the University Hybrid Model Financing Advisory Board.</p> <p>In addition one room accommodation may be provided in the Guest House or alternate arrangement may be provided to incumbents, if coming from outside Bharatpur.</p> <p>As the contractual remuneration has to be paid from the collection of funds from the students, there will be no claim whatsoever for continuing on the posts and the maximum duration for the post would be five months. Fresh applications and affidavit will have to be furnished for re-employment and these posts always remain contractual. A contract shall be rejoined.</p>	
2.	दिनांक 02.06.2018 के निर्णयों पर कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट।	
निर्णय	दिनांक 02.06.2018 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।	

Am

आकलिया

3.	दिनांक 02.06.2018 को सम्पन्न हुई बोम की बैठक के एजेण्डा संख्या 4 में विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक पदों के विज्ञापन का प्रारूप, सेवा शर्तों, अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया गया था। Terms and Conditions para 26 को निम्नलिखित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अभी तक सभी विश्वविद्यालयों में Contributory Pension Scheme -2004 लागू है अतः यह विश्वविद्यालय भी इसी स्कीम को लागू रखेगा। उपर्युक्त बिन्दु में निम्नवत संशोधन किया जाना प्रस्तावित है— contributory pension scheme -2004 shall be applicable to the incumbents appointed in the university.	सम्बद्धता शाखा																																																																																															
निर्णय	Contributory Pension Scheme -2004 shall be applicable to the incumbents appointed in the university. का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। नए विज्ञापन प्रसारण में इसे जोड़ते हुए प्रसारित किया जाय। और website पर terms and conditions परिवर्तित की जाएं।																																																																																																
4.	विश्वविद्यालय में नए अशैक्षणिक पदों के सृजन हेतु उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग जयपुर राजस्थान को प्रेषित किये जाने वाला प्रस्ताव संलग्न कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	भर्ती																																																																																															
निर्णय	विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार अशैक्षणिक पदों के प्रस्ताव को एजेण्डा परिशिष्ट अनुसार संशोधित कर इसका अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>पद का नाम</th> <th>पद की संख्या</th> <th>वेतनमान 2006 में रनिंग पै-बैंड व ग्रेड पे</th> <th>वेतनमान 2017 में पे लेबिल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Director in Computer Center in Professor Rank (alternatively Associate Professor rank may be sanctioned)</td> <td>01</td> <td>37400-67000(10000)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Technical Director / System Analyst</td> <td>01</td> <td>15600-39100(7600)</td> <td>L-19</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Analyst cum Programmer</td> <td>01</td> <td>15600-39100(6600)</td> <td>L-16</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Computer Programmer</td> <td>01</td> <td>9300-34800(4800)</td> <td>L-12</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Librarian</td> <td>01</td> <td>15600-39100(6000)</td> <td>L-15</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Assistant Librarian</td> <td>03</td> <td>9300-34800(4200)</td> <td>L-11</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>अनुभागाधिकारी</td> <td>05</td> <td>9300-34800(4800)</td> <td>L-12</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>लेखाधिकारी</td> <td>01</td> <td>15600-39100(5400)</td> <td>L-14</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I</td> <td>01</td> <td>9300-34800(4800)</td> <td>L-12</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>कनिष्ठ लेखाकार</td> <td>02</td> <td>9300-34800(3600)</td> <td>L-10</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>लिपिक ग्रेड- II (कनिष्ठ सहायक)</td> <td>06</td> <td>5200-20200(2400)</td> <td>L-05</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>सूचना सहायक</td> <td>04</td> <td>5200-20200(2800)</td> <td>L-08</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>केयर टेकर</td> <td>01</td> <td>9300-34800(3600)</td> <td>L-10</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>पुस्तकालय लिपिक</td> <td>03</td> <td>5200-20200(2400)</td> <td>L-05</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>रिकॉर्ड लिफ्टर (पुस्तकालय हेतु)</td> <td>03</td> <td>5200-20200(1700)</td> <td>L-01</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>जूनियर इंजिनियर (सिविल)</td> <td>01</td> <td>9300-34800(3600)</td> <td>L-10</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>गैस्ट हाऊस मैनेजर</td> <td>01</td> <td>9300-34800(4200)</td> <td>L-10</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>इण्डियन कुक</td> <td>01</td> <td>5200-20200(1900)</td> <td>L-03</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Annexure No. 01</p> <p>Details के लिए संलग्न है -</p>	क्रम संख्या	पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान 2006 में रनिंग पै-बैंड व ग्रेड पे	वेतनमान 2017 में पे लेबिल	1	Director in Computer Center in Professor Rank (alternatively Associate Professor rank may be sanctioned)	01	37400-67000(10000)		2	Technical Director / System Analyst	01	15600-39100(7600)	L-19	3	Analyst cum Programmer	01	15600-39100(6600)	L-16	4	Computer Programmer	01	9300-34800(4800)	L-12	5	Librarian	01	15600-39100(6000)	L-15	6	Assistant Librarian	03	9300-34800(4200)	L-11	7	अनुभागाधिकारी	05	9300-34800(4800)	L-12	8	लेखाधिकारी	01	15600-39100(5400)	L-14	9	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	01	9300-34800(4800)	L-12	10	कनिष्ठ लेखाकार	02	9300-34800(3600)	L-10	11	लिपिक ग्रेड- II (कनिष्ठ सहायक)	06	5200-20200(2400)	L-05	12	सूचना सहायक	04	5200-20200(2800)	L-08	13	केयर टेकर	01	9300-34800(3600)	L-10	14	पुस्तकालय लिपिक	03	5200-20200(2400)	L-05	15	रिकॉर्ड लिफ्टर (पुस्तकालय हेतु)	03	5200-20200(1700)	L-01	16	जूनियर इंजिनियर (सिविल)	01	9300-34800(3600)	L-10	17	गैस्ट हाऊस मैनेजर	01	9300-34800(4200)	L-10	18	इण्डियन कुक	01	5200-20200(1900)	L-03	
क्रम संख्या	पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान 2006 में रनिंग पै-बैंड व ग्रेड पे	वेतनमान 2017 में पे लेबिल																																																																																													
1	Director in Computer Center in Professor Rank (alternatively Associate Professor rank may be sanctioned)	01	37400-67000(10000)																																																																																														
2	Technical Director / System Analyst	01	15600-39100(7600)	L-19																																																																																													
3	Analyst cum Programmer	01	15600-39100(6600)	L-16																																																																																													
4	Computer Programmer	01	9300-34800(4800)	L-12																																																																																													
5	Librarian	01	15600-39100(6000)	L-15																																																																																													
6	Assistant Librarian	03	9300-34800(4200)	L-11																																																																																													
7	अनुभागाधिकारी	05	9300-34800(4800)	L-12																																																																																													
8	लेखाधिकारी	01	15600-39100(5400)	L-14																																																																																													
9	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	01	9300-34800(4800)	L-12																																																																																													
10	कनिष्ठ लेखाकार	02	9300-34800(3600)	L-10																																																																																													
11	लिपिक ग्रेड- II (कनिष्ठ सहायक)	06	5200-20200(2400)	L-05																																																																																													
12	सूचना सहायक	04	5200-20200(2800)	L-08																																																																																													
13	केयर टेकर	01	9300-34800(3600)	L-10																																																																																													
14	पुस्तकालय लिपिक	03	5200-20200(2400)	L-05																																																																																													
15	रिकॉर्ड लिफ्टर (पुस्तकालय हेतु)	03	5200-20200(1700)	L-01																																																																																													
16	जूनियर इंजिनियर (सिविल)	01	9300-34800(3600)	L-10																																																																																													
17	गैस्ट हाऊस मैनेजर	01	9300-34800(4200)	L-10																																																																																													
18	इण्डियन कुक	01	5200-20200(1900)	L-03																																																																																													
5.	BOM में गत वर्ष Supplementary Agenda के Item (ii) में पास की गई थी। BA-LLB. की फीस रु. 55000/- को सत्र 2019-20 से 60,000/-रु. किया जाना प्रस्तावित है।	अकादमिक																																																																																															
निर्णय	BA-LLB. की फीस रु. 55000/- से 60,000/- तक बढ़ाने का अनुमोदन किया गया।																																																																																																
6.	दिनांक 02.06.2018 को आयोजित प्रबन्ध मंडल की बैठक के बिन्दु संख्या 4 में उल्लिखित पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन के संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई है। रोस्टर प्रक्रिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और पूरे देश में अन्य विश्वविद्यालयों की तरह इस विश्वविद्यालय में भी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी है। पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापित में रोस्टर प्रणाली के सम्बन्ध में पूर्व में गठित की गई रोस्टर कमेटी से प्रकरण का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट एवं यूजीसी के नवीनतम नियमानुसार किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार भर्ती की विज्ञापित में रोस्टर का अपेक्षित संशोधन कर नवीन विज्ञापित जारी कर भर्ती प्रक्रिया की जायेगी। सूचनार्थ प्रस्तुत	भर्ती																																																																																															
निर्णय	रोस्टर कमेटी के निर्णय, अन्य विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया के रोस्टर नियमानुसार तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नवीन विज्ञापित जारी कर भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही की जाएगी। इसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।																																																																																																

7.	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (6) के अन्तर्गत छात्रसंघ के गठन के लिए अंतरिम संविधान तैयार किया गया है। आप सभी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	कुलपति सचिवालय
निर्णय	छात्रसंघ के गठन के अंतरिम संविधान का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। Annexure No. 02	
8.	Section 12 (6) के अन्तर्गत कुलपति महोदय के आदेशों का अनुमोदन। (1) 2 जून 2018 में पारित बिन्दु संख्या 4 के अंतर्गत LLB(5 years) के पदों में संशोधन किया गया और एक पद Political Science & Sociology को मिला कर उसके लिए निर्धारित किया गया। (2) Home Science Department का एक पद English subject के लिए निर्धारित किया गया। (3) इसी तरह para-(4)/ 02.06.2018 के निर्णयों में उपरोक्त लिखे संशोधन किए गए हैं इनका अनुमोदन बॉम में अपेक्षित हैं।	अकादमिक
निर्णय	उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 03 तक का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।	
8.1	इस संशोधन के कारण LLB के Assistant Professors के तीन पदों में से एक पद कम हो जाएगा।	
8.2	Home Science Department के Assistant Professors के तीन पदों में से एक पद English subject का हो जाएगा।	
8.3	Para-(4)/ 02.06.2018 के निर्णयों में उपरोक्त लिखे संशोधन किए गए हैं इनका अनुमोदन किया गया। Annexure No. 03	
8.4	<ul style="list-style-type: none"> English के लिए एक Teaching post अलग से सरकार से मांगी जाएगी। इस समय Home Science की यह post वापस Home Science को दे दी जाएगी। जैसा कि विधि विश्वविद्यालयों में 65 वर्ष से ऊपर के कुलपति हैं, इसलिए लगाए गए हैं। BOM के सदस्यों ने MSB Global Law Institute के सतत शैक्षणिक उत्थान एवं उन्नयन हेतु कुलपति महोदय को Director पद स्वयं सम्भालने की अनुशंसा की और अनुमोदन किया, जिसे कुलपति ने स्वीकार किया। 	
9.	दिनांक 29.06.2018 को आयोजित निरीक्षण मंडल (BOI) की बैठक की कार्यवाही विवरण में प्रस्तावित अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु का अनुमोदन।	अकादमिक
निर्णय	निर्णय का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु :- 1. यदि महाविद्यालय की कमियों के चलते उनके सुधार हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पुनः निरीक्षण कराया जाता है तो रुपये 10,000/- अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क लगाया जायेगा। कमियों की पूर्ति के लिये समय देने के पश्चात् भी कमी पूर्ति नहीं होती है तो शास्ति लगायी जाये जो कि अन्य विश्वविद्यालयों के समान हो सकती है जो कि 02 लाख रु. तक की जा सकती है। शास्ति का निर्धारण कमियों के आधार पर तय किया जायेगा, इस प्रकार का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। 2. यदि 09 जून, 2017 के पश्चात स्टॉफ का सलेक्शन हुआ है तो योग्यता NET या Ph.D. आवश्यक होने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। 3. प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टॉफ के अनुमोदन हेतु महाविद्यालय से Processing fee रुपये 10,000/- लिया जाना तय हुआ। विषय विशेषज्ञ एवं विश्वविद्यालय के मनोनीत सदस्यों के लिए मानदेय रुपये 12,00/- तथा Actual Conveyance/TA (In local minimum Rs. 200/-) अथवा मनोनीत सदस्य के लिए राजकीय नियमानुसार जो भी लागू हो, निर्धारित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। Selection के लिए कहीं से भी विशेषज्ञ लगाये जा सकते है। 4. प्राचार्य के अनुमोदन के पश्चात एक संस्था को छोड़कर दूसरी संस्था में स्थानांतरण करने पर दो सदस्यीय समिति (1. डॉ. ए.के. बंसल 2. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव) की राय के लिए नीति बनाने हेतु समिति गठन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। 5. महाविद्यालय प्रारम्भ के एक सत्र बाद प्रत्येक महाविद्यालय को प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टॉफ के अनुमोदन अनिवार्य किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। जिन भी कॉलेजों में Recognised Staff नहीं है उन्हें या तो Recognise कराना होगा या शास्ती लगेगी। महाविद्यालयों को प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टॉफ अनुमोदन हेतु यह प्रावधान 01.01.2019 से लागू किया जावे।	
	Annexure No. 04	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

10.	स्नातकोत्तर कॉलेज के शिक्षकों का अनुमोदन व प्रवेश की अन्तिम तिथि को घोषित करने वाला कुलपति का सेक्शन 12 (6) के आदेश का अनुमोदन। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अन्तिम तिथि 31.10.2018 तक 24.09.2018 को बढ़ाई गई।	अकादमिक
निर्णय	स्नातकोत्तर के शिक्षकों का अनुमोदन प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह के पहले करा लें। सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। इसे दुबारा से 01.01.2019 से लागू किया गया।	Annexure No. 05
क्र.सं	सप्लीमेन्ट्री एजेण्डा बिन्दु 27.10.2018	
S-1	विश्वविद्यालय का संचालन 4-5 वर्षों से हो रहा है। पहले से संचालित धौलपुर, भरतपुर, के अनेक महाविद्यालयों ने स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु आग्रह किया है। उक्त प्रासंगिक प्रस्ताव के संबन्ध में उल्लेख है कि पूर्व में कतिपय महाविद्यालयों को उनके द्वारा स्थाई सम्बद्धता प्रदत्त किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण रूप से अंगीकृत करने से उन्हें स्थाई सम्बद्धता प्रदान कि जा चुकी है। प्रासंगिक प्रस्ताव के संबन्ध में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रारूप पर निम्न प्रक्रिया अपनाया जाना प्रस्तावित है। 1 वह महाविद्यालय, विश्वविद्यालय / UGC/NCTE/ वैधानिक/ नियामक - निकाय के द्वारा निर्धारित समस्त अकादमिक एवं प्रशासनिक मापदण्डों पर पूर्ण हो। जैसा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्धारित है। 2 स्थाई सम्बद्धता प्राप्त किये जाने के योग्य महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क का 4 गुना एक मुश्त विश्वविद्यालय को भुगतान करेगा। जैसा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्धारित है। 3 इस प्रकार स्थाई सम्बद्धता प्रदान कर दिये जाने पर संबंधित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को वार्षिक सम्बद्धता शुल्क के रूप में निर्धारित सकल सम्बद्धता शुल्क का 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय को देता रहेगा। यह प्रावधान राजस्थान विश्वविद्यालयों में लागू प्रावधानों से अलग है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	विभाग सम्बद्धता शाखा
निर्णय	(a) स्थाई सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में निर्धारित मानकों की निरन्तरता की जाँच के लिए एक बार निरीक्षण कराया जाएगा। स्थाई मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का निरीक्षण पुनः चार वर्ष पश्चात् किये जाने एवं उपरोक्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। (b) सभी पहले से स्थाई और आगे स्थाई सम्बद्धता प्राप्त होने वाले महाविद्यालयों को एफिलिएशन फीस का 25% राशि हर वर्ष जमा करना पड़ेगा। प्रत्येक चौथे वर्ष में इन कॉलेजों का निरीक्षण भी होगा। शिकायत मिलने पर या अन्य परिस्थितियों में निरीक्षण कभी भी कराया जा सकता है।	
S-2	MA Drawing and Painting व Home science के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक उन्नयन के लिए सम्बन्धित छात्र-छात्राओं एवं प्राध्यापकों से वार्ता कर English का Course पढ़ाने का निर्णय किया है। इसको कुलपति ने Section 12 (6) के अन्तर्गत अनुमोदित कर English की classes का शुभारम्भ कर दिया है। सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अकादमिक शाखा
निर्णय	MA Drawing and Painting व Home science के छात्र-छात्राओं के पाठ्यक्रम में English का Course के अन्तर्गत Spoken English & English Grammar पढ़ाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। English का Teacher सभी विभागों में कार्य करेंगे।	
S-3	राज भवन से प्राप्त निर्देशानुसार छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं खेल को प्रोत्साहित करने हेतु "खेल दर्शन" Philosophy of Sports पाठ्यक्रम हिन्दी और अँग्रेजी विषयों में 10-10 अंक का विश्वविद्यालय की समस्त कक्षाओं में लागू किया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अकादमिक शाखा
निर्णय	खेल को प्रोत्साहित करने हेतु "खेल दर्शन" Philosophy of Sports पाठ्यक्रम हिन्दी और अँग्रेजी विषयों में 10-10 अंक का विश्वविद्यालय की समस्त कक्षाओं में लागू किये जाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।	
टेबल एजेण्डा		
T 1	विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह के आयोजन, बजट आदि का प्रस्ताव।	परीक्षा शाखा
निर्णय	सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह का जनवरी 2019 में आयोजन किये जाने का अनुमोदन किया गया। मैडल्स और प्राइज आदि तय करने के लिये भामाशाहों से प्राप्त अनुदान आदि के लिये एक अलग से राष्ट्रीकृत बैंक में खाता खोला जायेगा। डिग्रियाँ छपवाने का काम शुरू कर दिया जाय। प्रथम दीक्षान्त समारोह के आयोजन हेतु-15 लाख रु. खर्च का अनुमोदन किया गया इसमें विज्ञापन भी होंगे। प्रथम दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय मैडल एवं पुरस्कार आदि हेतु- 03 लाख बजट आवंटन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। इस समारोह की समस्त तैयारी के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	

ACB

अभिनव

T 2	विश्वविद्यालय के विज्ञापन प्रकाशन, कॉन्फ्रेंस आदि के लिये बजट का आवंटन	परीक्षा शाखा
निर्ण.	विश्वविद्यालय की Brand Value बढ़ाने एवं विश्वविद्यालय के प्रचार प्रसार के लिये वेबसाइट को Update करने विभिन्न प्रकार के विज्ञापन प्रकाशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि के लिये निम्नानुसार बजट आवंटन किया गया। वेबसाइट को Update करके Internet विज्ञापन एक के 1.5 लाख रू.। विभिन्न प्रकार के विज्ञापन, टेन्डर निविदाओं के प्रकाशन हेतु - 20 लाख नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिये - 05 लाख	
T 3	विश्वविद्यालय में परीक्षा शाखा एवं अन्य विभागों के कार्य के सुचारु संचालन के लिए एक कम्प्यूटर सेंटर स्थापित करने का निर्णय कर कार्यान्वित किया गया। कम्प्यूटर सेंटर में एक डायरेक्टर लगाया जायेगा, जिसका वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 9000 (छठवें वेतन आयोग अनुसार) होगा। कम्प्यूटर सेंटर में कार्यों के सम्पादन के लिए और भी अधिकारी लगाए जाएंगे।	

सदस्य सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

Ak Nand

आकशिया -
कुलसचिव

Annexure-I

विश्वविद्यालय में नए अशैणिक पदों के सृजन हेतु उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग जयपुर
राजस्थान को प्रेषित किये जाने वाला प्रस्ताव -

क्रम संख्या	पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान 2006 में रनिंग पै-बैण्ड व ग्रेड पे	वेतनमान 2017 में पे लेबिल
1	Director in Computer Center in Professor Rank (alternatively Associate Professor rank may be sanctioned)	01	37400-67000(10000)	
2	Technical Director / System Analyst	01	15600-39100(7600)	L-19
3	Analyst cum Programmer	01	15600-39100(6600)	L-16
4	Computer Programmer	01	9300-34800(4800)	L-12
5	Librarian	01	15600-39100(6000)	L-15
6	Assistant Librarian	03	9300-34800(4200)	L-11
7	अनुभागाधिकारी	05	9300-34800(4800)	L-12
8	लेखाधिकारी	01	15600-39100(5400)	L-14
9	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	01	9300-34800(4800)	L-12
10	कनिष्ठ लेखाकार	02	9300-34800(3600)	L-10
11	लिपिक ग्रेड- II (कनिष्ठ सहायक)	06	5200-20200(2400)	L-05
12	सूचना सहायक	04	5200-20200(2800)	L-08
13	केयर टेकर	01	9300-34800(3600)	L-10
14	पुस्तकालय लिपिक	03	5200-20200(2400)	L-05
15	रिकॉर्ड लिपिटर (पुस्तकालय हेतु)	03	5200-20200(1700)	L-01
16	जूनियर इंजिनियर (सिविल)	01	9300-34800(3600)	L-10
17	गैस्ट हाऊस मैनेजर	01	9300-34800(4200)	L-10
18	इण्डियन कुक	01	5200-20200(1900)	L-03

1. परीक्षा अनुभाग में परीक्षाओं से संबंधित pre & post exam online work and computer work के प्रोग्रामिंग करवाना परीक्षा से संबंधित अंक तालिकाओं व डिग्री आदि की सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु कम्प्यूटर प्रोग्रामर की आवश्यकता है।
2. क स -1 पर अंकित कार्य में कम्प्यूटर के साथ व निर्देशन में कार्य सम्पन्न कराने हेतु।
3. विश्वविद्यालय में LLM, B.A-LLB, Ph.D. व M.A के कोर्सेज प्रारम्भ किये हैं। विभागवार लाईब्रेरी संचालन कराने हेतु लाईब्रेरी ग्रेड-II की आवश्यकता है।
4. विश्वविद्यालय में LLM, B.A-LLB, Ph.D व M.A के कोर्सेज प्रारम्भ किये हैं। विभागवार लाईब्रेरी संचालन कराने हेतु प्रत्येक विभाग में सहायक लाईब्रेरीयन की आवश्यकता होगी।
5. विश्वविद्यालय में परीक्षा शाखा एवं अन्य विभागों के कार्यों के सुचारु सम्पादन के लिए एक कम्प्यूटर सैन्टर स्थापित किया गया है जिसके लिए पदानुसार विभिन्न अधिकारियों की आवश्यकता होगी।

[Signature]

[Signature]

6. विश्वविद्यालय में सम्बद्धता शाखा क्षेत्र भरतपुर व धौलपुर, अकादमिक शाखा एम. ए. व पीएच.डी. अनुभाग में प्रत्येक अनुभाग में अनुभाग अधिकारी की आवश्यकता होगी।
7. विश्वविद्यालय में एक पद वित्त नियंत्रक का स्वीकृत है जिसके अधीन परीक्षा संबंधी भुगतान व्यवस्था व सामान्य लेखा शाखा के भुगतान व्यवस्था को नियंत्रण करने हेतु एक लेखाधिकारी का पद सृजन किया जाना आवश्यक है।
8. विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग में परीक्षा संबंधी कार्य के मानदेय भुगतान की जाँच व भुगतान कराना व रिकार्ड संधारित हेतु एक सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I की आवश्यकता है।
9. विश्वविद्यालय में अभी कनिष्ठ लेखाकार के पद स्वीकृत हैं जो सामान्य लेखा शाखा के लिए हैं अब परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में लेखा अनुभाग कायम करने हेतु दो कनिष्ठ लेखाकार के पदों की आवश्यकता है।
10. विश्वविद्यालय अब निरन्तर विकास पर है विश्वविद्यालय के स्वयं का भवन तैयार होने वाला है रोजमर्रा की देखरेख हेतु एक केयर टेकर के पद का सृजन आवश्यक है।
11. विश्वविद्यालय में LLM, B.A-LLB, Ph.D व MA विभागों में अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया है। प्रत्येक विभाग में लाईब्रेररी का संचालन किया जावेगा। अतः इसके रिकार्ड संधारण हेतु 03 लाईब्रेररियों में लिपिकों की आवश्यकता होगी।
12. विभागवार लाईब्रेररी का संचालन होगा। अतः इसमें 03 बुक लिफ्टर की आवश्यकता होगी।
13. विश्वविद्यालय का स्वयं का भवन तैयार हो रहा है। भवन में विश्वविद्यालय स्तर पर भवन निर्माण/रिपेयर आदि की आवश्यकता रहती है। अतः एक कनिष्ठ अभियन्ता की आवश्यकता होगी।
14. विश्वविद्यालय के अधीन एक गेस्ट हाऊस का संचालन प्रारम्भ किया गया है। उसके लिए एक मैनेजर का होना आवश्यक है।
15. गेस्ट हाऊस में गैस्टों के लिये खाना व नाश्ता तैयार करने हेतु एक इण्डियन कुक की आवश्यकता होगी।

AUB

अकविजा

**INTERIM CONSTITUTION OF
THE MAHARAJA SURAJMAL BRIJ UNIVERSITY STUDENT'S UNION
BHARATPUR
2018**

Chapter-I : AIMS AND OBJECTIVES

1. The University hereby formulates, the MS Brij University Student's Union Constitution with the following aims and objectives:

- a) to promote mutual contact, a democratic out-look and spirit of oneness amongst the students of the MS Brij University:
- b) to promote the social, cultural and intellectual development of the students of the MSBU,
- c) to promote consciousness amongst the students of the MSBU of the events taking place around them-with a view to better equip them as responsible and educated citizen
- d) to promote amongst the students of the MSBU a sense of service to the society and duty towards the state; and
- e) to promote harmonious relations amongst all the sections of the University community.

Chapter-II : SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT

2. This may be called interim Constitution of the MS Brij University Student's Union 2018-19, Bharatpur.

3. This Constitution shall apply to all the Post-graduate Departments/Units (by whatever name they are called) and the constituent Colleges of the University including BALLB students of MSB Global Law Institute.

4. This Constitution shall come into force on 25-7-2018 which is the date of approval by the Vice-Chancellor under Section 12 (6) of the Act.

5. Definitions: In these rules unless the context requires :

- a) **Student:** "Student" means a person who is on the rolls of a PG Department/Unit (by whatever name it is called)/Constituent College of the University pursuing a regular course of study other than Ph.D. in the current academic session. He/she shall not be employed anywhere.
- b) **Maharaja Surajmal Brij University Students' Union :** "MS Brij University Students Union means the union at the university level of all the students on rolls in the current academic session excluding M. Phil. and Ph.D. students.

Chapter III : ORGANIZATIONAL STRUCTURE

6. There shall be one union at the University level of all the students of the P.G. Departments/Units (by whatever name they are called) and the MSB Global Law Institute of the University, called 'MS Brij University Students' Union.

7. Students Union in MSB Global Law Institute shall be made from 2020-21. This year to encourage democratic values a class representative shall be elected, and students shall be voters in the MSBU Students Union elections.

MSB

MSB

[Signature]

8. **Functions of the MS Brij University Students' Union:**

The MS Brij University Students Union shall:

- (a) concern itself with all matters related to the interest, well-being and all round development of the students of the university;
- (b) co-ordinate and organize such co-curricular and extracurricular activities which are desired by elected representatives in consultation with authorities to fulfil the objective and aims of the Union which are essential, laid down under this interim Constitution, with the approval of the Vice-Chancellor and/or designated officer by the VC, which can not be organised individually. (such as Youth Festival, symposia, University convocation Week and so on) or which may possibly be organized with limited student strength and only 3 departments;
- (c) Take steps to create in the students' community a sense of partnership with other segments of University community towards a healthy and dynamic life in the university by organizing such activities as games, debates, seminars, dramas and such other activities;
- (d) Undertake all such activities as may be conducive to the interest, prestige, honour, health, traditions and peaceful life in the Institutions/University; and
- (e) Take steps for creating a consciousness in the students' community of their duties, obligations and responsibilities towards the society
- (f) No budget has been provided to the union. Fee has also not been charged. For funding the activities students would be charged union fee as may be decided by the University administration.

9. **Membership**

- a) Membership of the MS Brij University student's Union shall be for all the students admitted in the current academic session in B.A.L.L.B and P.G. Departments/Units/ of the University (by whatever name they are called) excluding M.Phil., and Ph.D. students.
- b) The membership of the Union shall be for the academic session of admission and shall automatically expire on the last date of academic session. Students of terminal semester/year, awaiting result, according, shall neither be members of the Union at the expiry of the session, nor, thereby, eligible to vote/contest.
- d) Only those members admitted as students prior to the date of Notification of the students Union Election, shall be allowed to participate in the election process of MSBU Students Union in any given academic session.
- e) In service students or employed students or engaged in any vocation will not be members of the MS Brij University Students Union.
- f) The fee for MSBUSU shall be in addition to the fee paid by the students for the membership of the Constituent College Union or other Unions of the respective Department/Unit.
- g) The Annual membership fee for the MSBUSU Union or other Unions other unions in P.G. Departments/Units shall be notified time to time by the Registrar.

MSB

असिस्टेंट

11

h) Concerned itself with the publication in furtherance of education, social service and activities.

i) Such other activities as approved by the Patron.

10. Chief Patron and Patrons

a) The vice-Chancellor of the University shall be the Patron of the MSBU Students' Union and shall be Chief Patron of other Unions when formed.

b) In later years, the Heads of the concerning Departments/In-charges of the Units (by whatever name they are called) shall be the Patrons of the Student's Unions in their respective Departments/Units. The Principals of the Constituent Colleges shall be the Patrons of Students Unions in their respective colleges.

11. Powers and Functions of The Patrons/The Chief Patron

The patron shall exercise the general supervision and overall authority over the affairs of the respective Union under his/her jurisdiction.

12. Dean, Student's Welfare when appointed Shall exercise general supervision and control over all the activities of the MS Brij University Students Union.

There may be opened a Bank account which the DSW will operate in the name of the MSBU students Union for which rules shall be made and adopted .

13. The Union Shall have an Executive Council which shall consist of the President and class representatives for 2018-19.

14. Office Bearers of MS Brij University Students Union

a) Further for year 2018-19 the candidates contesting for the post of President and shall have to be

i) Not more than the age of 25 years (28 years for a student of PG Course in Law).

ii) Student of any Post-Graduate course of study.

or

Student of the 4th or 5th year of any Five year Integrated course of study,

b) Further for 2018-19 provided that candidates contesting for the post of class Representative to the MSBU students Union shall have to be

(i) Not more than the age of 25 years (28 years for a student of PG Course in Law)

c) The office bearers of the Union shall be responsible for orderly functioning of the Union.

15. Functions of Office-Bearers of the MS Brij University Students'/Union/Constituent College Students' Union :

President : The President of the Union will be the Chief Executive of the Union and will function in all matters relating to the Union in accordance with this Constitution and with class representatives.

ALM

3/25/2018

CHAPTER -IV : DISQUALIFICATIONS

16. No member of the MS Brij University students Union/Constituent College Students' Unions shall be entitled to contest for any post of office-bearer or, to become student member of the Assembly/ Executive Council/Executive Committee as the case may be if that student

- a) is not a full time regular student of any course of study in the University and not a member of the MS Brij University Student's Union.
- b) has exceeded the age limit as prescribed herein above .
- c) has failed to clear all the papers , whether compulsory or elective individual ly and in aggregate, including by absence (or non scored required credits in case of final examination) of the last Semester/Year in which he has taken admission in the preceding academic session of the year of contesting the election (whether Annual or Semester Scheme or whether the examination of MSB University or any other academic institution).
- d) has enrolled in two full time degree programme including other Universities.
- e) has been convicted of criminal offence including that of moral turpitude.
- f) has been duly declared as a "habitual offender" /"history-sheeter" by the competent authority.
- g) has been punished by the University/College authorities for an act coercive in nature , especially to the women students, involving threat to life and dignity of others and involving threat to property of the university and for any other misconduct.
- h) has been found guilty and punished for use of unfair-means in any examination of college/University or any other examining body.
- i) has been found guilty of violation of code of conduct by the university.

Explanation: A mere warning issued against a student and pecuniary fines will not be deemed to be a punishment for the purpose of this Section.

CHAPTER - V : Office and Meeting

17. There is no premises or office of union for 2018-19. For Meetings of the Union a room would be provided for conduct of meetings for 2 hours not more than 2 days in a month.

CHAPTER-VI: ELECTIONS

18. **Conduct of Election:**

- a) The elections for the university students' Union will be held within six to eight weeks from the date on which the university reopens for the new session.

ACUS

MSB

- b) The Vice-Chancellor will appoint the Chief Election Officer who will be a teacher of the university, not below the rank of a Associate Professor. The Chief Election Officer will be assisted by a Committee.
- c) A notification for the election is issued under the signature of the Chief Election Officer as much as per govt. notification which could be complied.
- d) The results of the University Students' Union will be declared by the Returning Officer. The oath of office to the Office bearers shall also be administered by the concerned Patron(s) immediately after the declaration of results(s).
- e) The maximum permitted expenditure by a contestant for election shall be Rs. 5,000/-. Expenditure above this limit will disqualify the contestant.
- f) Each candidate shall, within fifteen days of the declaration of the result, submit complete and certified accounts of election expenses to the Chief Election Officer, through Returning Officer.
- g) The Chief Election Officer shall publish such certified accounts within 2 days of submission of such accounts, through University website so that any member of the students body may freely examine the same.
- h) The election of the candidate will be nullified by the Chief Election Officer in the event of any non-compliance or in the event of any excessive expenditure after giving due opportunity of hearing.
- i) With the view to prevent the inflow of funds from political parties into the student election process, the candidates are specially barred from utilizing funds from any other sources other than voluntary contributions from the students members.

19. Code of Conduct

All the candidates contesting the elections for any post or office of the University Students Union and also their agents and supporters shall abide by the following code of conduct which will be operational from first day of commencement of academic session:-

- a) No candidate shall indulge in, nor shall abet, any activity, which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic, or between any group(s) of students.
- b) Criticism of other candidate, when made, shall be confined to their policies and programmes, past records and work. Candidates shall refrain from criticism of all aspects of private life, not connected with public activities of the other candidates or supporters of such other candidates. Criticism of other candidates, or their supporters based on unverified allegations or distortion shall be avoided.
- c) There shall be no appeal to caste or communal feelings for securing vote. Places of worship, within or without the campus shall not be used for election propaganda.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

- d) All candidates shall be prohibited from indulging or abetting, all activities which are considered to be 'corrupt practices' and offences, such as bribing of voters, intimidation of voters, impersonation of voters, canvassing or the use of propaganda within 100 meters of polling station, holding public meetings during the period of 24 hours ending with the hours fixed for the close of the poll, and the transport and conveyance of voters to and from polling stations.
- e) No candidate is permitted to make use of printed posters , printed pamphlet, or any other printed material for the purpose of canvassing. Candidates may only utilize handmade posters for the purpose of canvassing, provided that such handmade posters are procured within the expenditure limit set out herein above.
- f) Candidates may only utilize handmade posters at certain places in the campus, which shall be notified in advance by the Chief Election Officer/University authority.
- g) No candidate shall be permitted to carry out procession, canvassing or hold public meetings, or in any way canvass or distribute propaganda outside the University/college campus.
- h) No candidate shall , nor shall his/her supporters, deface or cause any destruction to any property of the university/college campus, for any purpose whatsoever , without the prior written permission of the University authorities. All candidates shall be held individually and jointly responsible and severally liable for any destruction/defacing of any University /college property.
- i) The Election campaigning outside the University and Constituent College campus is banned by State government of Rajasthan.
- j) During the election period the candidates may hold processions and/or public meetings, provided that such processions and/or public meetings do not, in any manner, disturb the classes and other academic and co-curricular activities of the college/University. Further, such procession/public meeting may not be held without the prior written permission of the University authority.
- k) The use of loudspeakers, vehicles and animals for the purpose of canvassing shall be prohibited.
- l) On the day of polling, students organizations and candidates shall:
 - i) co-operate with the officers on election duty to ensure peaceful and orderly polling and complete freedom to the voters to exercise their franchise without being subjected to any annoyance or obstruction.
 - ii) not serve or distribute any edible or other solid or liquid consumables except water on polling day.
 - iii) not handout any propaganda on the polling day.
- m) Except the voters, no one without a valid pass/letters of authority from the Chief Election Officer or from the university authorities shall enter the polling booths.
- n) All candidates shall be individually and jointly responsible for ensuring the cleaning of the polling area within 48 hours of the conclusion of the polling.

20. **Consequences of Violation of Code of Conduct**

Any contravention of any of the above provisions under Article 19 will make the candidate liable to be stripped off his candidature or his elected post, as the case may be. The Chief Election Officer of the University or concerned authority may take appropriate disciplinary action against such a violator.

Ans

Ans

CHAPTER-VII: MISCELLANEOUS

21. Rule making

The Vice-Chancellor may appoint a committee for framing such rules as may be necessary for the working of this Constitutions and rules shall be adopted when accepted by VC.

22. Interpretation of this constitution and removal of doubts and difficulties.

In the case of any doubt or ambiguity in any provisions of the Interim Constitution the rulings given by the Vice-Chancellor shall be final.

23. Dissolution

The MSB University union may be suspended or dissolved by the Vice-Chancellor, at any time, if so warranted by the circumstances, in consultation with the BOM.

Approved by the Vice-Chancellor U/S 12 (6)

Aus

सुभाष

[Handwritten Signature]

Vice-Chancellor

25-08-2018

निर्णय	अकादमिक परिषद की Minutes के बिन्दु संख्या 07 पर चर्चा हुई। प्रबन्ध-मण्डल के सदस्यों का मानना था कि विश्वविद्यालय का यह निर्णय सराहनीय है और राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी उदाहरण बनेगा। इसे शीघ्र लागू किया जाय। इस कमेटी की सराहना की गई। पूरक एजेण्डा के बिन्दु संख्या f के सन्दर्भ में सदस्यों का सुझाव था कि भर्ती हेतु पदों की Specializations विश्वविद्यालय द्वारा पहले से ही तय कर ली जाएँ। Selection Committee उन तय Specializations के आधार पर ही Selection करेगी। पूरक एजेण्डा के बिन्दु संख्या h के सन्दर्भ में प्रो. अशोक शर्मा ने कुछ doubt express किए परन्तु सभी सदस्यों ने उन्हें बताया कि Standing Committee का सभी कार्य अकादमिक परिषद में ही जाता है। प्रबन्ध-मण्डल ने अकादमिक परिषद के Minutes को ऊपर लिखित सुझाव के साथ स्वीकार किया।	
4.	Approval of the eligibility conditions and advt. for sanctioned teaching posts in BOM. To approve the desirable streams from the discipline whose qualifications and specializations were passed by Academic Council meeting held on dated 23.05.2018. To ratify the decisions of AC. राजस्थान सरकार, उच्च शिक्षा (ग्रुप-04) विभाग के पत्र क्र.सं. 14(31) शिक्षा-4/2012 दिनांक 21.02.2018 के अनुसार विश्वविद्यालय को Deptt. of Drawing & Painting, Deptt. of Home Science, Deptt. of Maths & Computer Science, Deptt. of Law LLB (05 Years) तथा Deptt. of Law LLM को स्वीकृत किए गए कुल 30 शैक्षणिक पदों में से क्रमशः 02 पद एसोसिएट प्रोफेसर व 03 पद Assistant Professor प्रत्येक विभाग में भरे जाने की सहमति प्रदान की गई है। तदनुसार, विभागवार आवण्टित पदों पर आवेदन करने हेतु विज्ञापन का प्रारूप, सेवा शर्तें, अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रबन्ध-मण्डल से अनुमोदन किए जाने हेतु प्रस्तुत हैं। (परिशिष्ट-04, 4A, 4B)	Estt./ Recr uit.
निर्णय	विज्ञापन के पार्ट I General Terms and Conditions के बिन्दु संख्या 10 की दूसरी पंक्ति वर्णित Written Test को कुलपति ने सदस्यों के सुझाव पर हटा दिया। विज्ञापन के पार्ट II Eligibility Conditions, Qualifications and Specializations for Posts के उपखण्ड A व B के बिन्दु 01 में वर्णित Consistent Good Academic Record में से Consistent शब्द हटाया गया। Good Academic Record को परिभाषित कर विश्वविद्यालय की Website पर शीघ्र ही upload कर दिया जायेगा। सभी सदस्यों की सहमति द्वारा पास किया गया।	
5.	05 year BA-LLB, BBA-LLB (Integrated) एवं LLM पाठ्यक्रम तथा PG Home Science, Drawing & Painting तथा Mathematics & Computer Science के कक्षाओं के संचालन हेतु Hybrid Scheme/Model के आधार पर teaching faculty की नियुक्ति की जानी है जिसका खर्च विश्वविद्यालय की Fee Collection से किया जाएगा। इसमें Administrative staff (Stenographer व Clerk) आदि भी लिए जा सकते हैं। यह अस्थाई, निश्चित अवधि की नियुक्तियाँ की जाएंगी। इसकी कोई Permanent Liability सरकार व विश्वविद्यालय की नहीं होगी। पूर्व में बोम द्वारा अनुमोदित है। सूचनार्थ प्रस्तुत।	VC Sectt.
निर्णय	कुलपति महोदय ने बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के मॉडल पर, जिसकी स्वीकृति शासन से भी है, हमें Hybrid Scheme/ Model के आधार पर भर्तियाँ करनी हैं। अनुमोदन किया गया।	
6.	बोम ने 07.04.2018 की बैठक में निर्णय लिया है कि जिन पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है उन पर संविदा के आधार पर एजेन्सी के माध्यम से कर्मचारी नियुक्त किए जाएँ। विश्वविद्यालय ने Hybrid Scheme के अन्तर्गत भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है। आवश्यकता पड़ने पर योग्य कार्मिक एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर work order के अनुसार लिए जा सकते हैं। बोम के सूचनार्थ प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-05)	VC Sectt.
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

एम. एस. जे. महाविद्यालय परिसर, भरतपुर - 321001

Ph. & Fax No. 05644-220560, Website - www.msbrjijuniversity.ac.in

Email - affiliation btp@msbrjijuniversity.ac.in

क्रमांक :- प.3(13)/मसूबृवि/सम्बद्धता निरीक्षण/2017/840

दिनांक :- 28/07/2018

दिनांक 29.06.2018 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठक की कार्यवाही विवरण

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के निरीक्षण मण्डल की बैठक स्थानीय विश्वविद्यालय के सभागार में दिनांक 29.06.2018 को दोपहर 11:30 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए :-

1. प्रो. अश्वनी कुमार बंसल - कुलपति
2. डॉ. परमजीत सिंह, ओ.आई.सी., वी.सी.
3. डॉ. अशोक कुमार बंसल, प्राचार्य, आर. डी. गर्ल्स महाविद्यालय, भरतपुर - सदस्य
4. डॉ. मनरूप सिंह मीना, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, धौलपुर - सदस्य
5. डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, प्राचार्य, महाराजा सूरजमल शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय, भरतपुर - सदस्य
6. डॉ. विवेक शर्मा, डीन फ़ैकल्टी ऑफ़ कामर्स, - सदस्य
7. श्री ओ.पी. विरनोई (कुलसचिव एवं सचिव)
8. डॉ. निहाल सिंह, प्रभारी सम्बद्धता

c सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। विगत बैठक के कार्यवाही विवरण का उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु :-

1. यदि महाविद्यालय की कमियों के चलते उनके सुधार हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पुनः निरीक्षण कराया जाता है तो रुपये 15,000/- अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क लगाया जायेगा। कमियों की पूर्ति के लिये समय देने के पश्चात् भी कमी पूर्ति नहीं होती है तो शास्ति लगायी जाये जो कि अन्य विश्वविद्यालयों के समान हो सकती है जो कि 2 लाख रु. तक की जा सकती है। शास्ति का निर्धारण कमियों के आधार पर तय किया जायेगा, इस प्रकार का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
2. यदि 09 जून, 2017 के पश्चात् स्टाफ़ का सलेक्शन हुआ है तो योग्यता NET या Ph.D. आवश्यक होने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
3. प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ़ के अनुमोदन हेतु महाविद्यालय से Processing fee रुपये 10,000/- लिया जाना तय हुआ। विषय विशेषज्ञ एवं विश्वविद्यालय के मनोनीत सदस्यों के लिए मानदेय रुपये 12,00/- तथा Actual Conveyance/TA (In local minimum Rs. 200/-) अथवा मनोनीत सदस्य के लिए राजकीय नियमानुसार जो भी लागू हो, निर्धारित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। Selection के लिए कहीं से भी विशेषज्ञ लगाये जा सकते हैं।
4. प्राचार्य के अनुमोदन के पश्चात् एक संस्था को छोड़कर दूसरी संस्था में स्थानांतरण करने पर दो सदस्यीय समिति (1. डॉ. ए.के. बंसल 2. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव) की राय के लिए नीति बनाने हेतु समिति गठन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
5. महाविद्यालय प्रारम्भ के एक सत्र बाद प्रत्येक महाविद्यालय को प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ़ के अनुमोदन अनिवार्य किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। जिन भी कॉलेजों में Recognised Staff नहीं है उन्हें या तो Recognise कराना होगा या शास्ती लगेगी। महाविद्यालयों को प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ़ अनुमोदन हेतु यह सूचना समय सीमाएं तय कर दे दी जायें।

Enforce it from 1 Jan 2019
A. K. Singh

Am

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (राज०)

कार्यालय-टिप्पणी / NOTE-SHEET

पत्रावली संख्या - 661 वृ 3/8/18

अनुभाग -

विश्वविद्यालय एक्ट की Section 12 (6) के अन्तर्गत कुलपति महोदय द्वारा निम्न आदेश जारी किए कि महाविद्यालयों को सत्र 2018-19 की समबद्धता के लिए पूर्व में मांगे गये दस्तावेजों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यवाही करनी होगी-

1. महाविद्यालय में पूर्णकालिक शैक्षणिक स्टाफ व शैक्षणिक सुविधाएँ होंगी।
2. विद्यार्थी प्राइवेट की तरह से अध्ययन न कर महाविद्यालयों में नियमित अध्ययन सुनिश्चित करें।
3. शैक्षणिक स्टाफ का विवरण दिये बिना PG के Admission मान्य नहीं होंगे।
4. शिक्षकों का विश्वविद्यालय से अनुमोदन कराना इस सत्र से अनिवार्य किया गया है।
5. महाविद्यालय में कार्यरत PG Courses के शिक्षकों की Qualifications एवं तत्सम्बन्धी दस्तावेजों का सत्यापन करावाएँ अन्यथा PG में Admission नहीं लें।
6. पी.जी. के शिक्षकों के अनुमोदन हेतु सात दिवस का समय एवं रु 5000/- शुल्क निर्धारित किया गया है।
7. पी.जी. के शिक्षकों के विवरण दिनांक 16.08.2018 से पहले प्रेषित कर निःशुल्क अनुमोदन करा लें।
8. कॉलेजों द्वारा प्रेषित सूचना एवं मौके पर सत्यापन के द्वारा प्राप्त सूचना में भिन्नता पाये जाने तथा विश्वविद्यालय से शिक्षकों के अनुमोदन नहीं कराये जाने पर सम्बद्धता निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
9. पी.जी. कक्षाओं में प्रवेश की अन्तिम तिथि 31.10.2018 तक बढ़ाई जाती है 24-9-18 को यह निर्णय किया गया।

अंतिम दिनांक 31.10.2018 तक बढ़ाई जाती है 24-9-18 को यह निर्णय किया गया।
 1-1-18 को दोहराया
 राहु किशोर



Spus m 9/6/18 and again
 rectified on 27/9/18.

Copy sent to:

o/c Affiliation

o/c Academic

o/c Boy